

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062024-254980 CG-DL-E-27062024-254980

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326]

No. 3261

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 27, 2024/आषाढ 6, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 27, 2024/ASHADHA 6, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुन, 2024

संख्या 11/2024-सीमाश्ल्क (एडीडी)

सा.का.िन. 349(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य या कोरिया गणराज्य (एतिश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "'अलॉय स्टील चीसेल / टूल तथा पूर्णत: संयोजित स्थिति में हाईड्रोलिक रॉक ब्रेकर" (एतिश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 84314930 और 84314990 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/8/2022-डीजीटीआर, दिनांक 28 मार्च, 2024, जिसे दिनांक 28 मार्च, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि –

- (i) विषयगत वस्तुओं का विषयगत देशों से भारत को निर्यात इसके सामान्य से कम मूल्य पर किया गया है;
- (ii) घरेलू उद्योग को विषयगत देशों से संबद्ध आयात के कारण सारवान क्षति हुई है;

3800 GI/2024 (1)

(iii) विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के भारी आयात के कारण सारवान क्षति हुई है;

और घरेलू उद्योग को होने वाली इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत वस्तुओं जो कि विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित हैं और भारत में आयातित हैं, के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षिति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धाराओं (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती है: जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्ट में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित हैं, उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राशि के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क लगाती है; यथा:-

शुल्क तालिका

क्र.सं.	सीटीएच शीर्ष	सामानों का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क (मूल्य सीआईएफ का %)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	84314930 और 84314990	हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर #1	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	यंताई एडी प्रिसिजन मशीनरी कंपनी लिमिटेड	131.11%
2.	-वही-	अलॉय स्टील चीसेल ^{#2}	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	यंताई एडी प्रिसिजन मशीनरी कंपनी लिमिटेड	29.21%
3.	-वही-	हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर ^{#1}	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. भी सहित कोई देश	निंगबो यिनझोउ गेट मशीनरी लिमिटेड	26.95%
4.	-वही-	अलॉय स्टील चीसेल ^{#2}	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. भी सहित कोई देश	र्निगबो यिनझोउ गेट मशीनरी लिमिटेड	4.55%

		T				
5.	-वही-	हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर ^{#1}	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. भी सहित कोई देश	उक्त क्रम संख्या 1 से 4 के अलावा कोई उत्पादक	162.50%
6.	-वही-	हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर ^{#1}	विषय देशों के अलावा कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई भी उत्पादक	162.50%
7.	-वही-	अलॉय स्टील चीसेल#2	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	उक्त क्रम संख्या 1 से 4 के अलावा कोई उत्पादक	29.21%
8.	-वही-	अलॉय स्टील चीसेल#2	विषय देशों के अलावा कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई भी उत्पादक	29.21%
9.	-वही-	हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर ^{#1}	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई देश	सूसान हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड	शून्य
10.	-वही-	अलॉय स्टील चीसेल#2	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई देश	सूसान हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड	शून्य
11.	-वही-	हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर ^{#1}	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित भी कोई भी देश	डेमो इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	9.43%
12.	-वही-	अलॉय स्टील चीसेल#2	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित भी कोई भी देश	डेमो इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	12.47%
13.	-वही-	हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर #1	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित भी कोई भी देश	डी एंड ए हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी. लिमिटेड	शून्य
14.	-वही-	अलॉय स्टील चीसेल#2	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित भी कोई भी देश	डी एंड ए हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी. लिमिटेड	12.47%
15.	-वही-	हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर #¹	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित भी कोई भी देश	हुंडई एवरडिग्म कॉर्पोरेशन	11.91%
16.	-वही-	अलॉय स्टील चीसेल#2	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित भी कोई भी देश	हुंडई एवरडिग्म कॉर्पोरेशन	12.47%

						,
17.	-वही-	हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर #¹	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	फील इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	8.16%
18.	-वही-	अलॉय स्टील चीसेल#2	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	फील इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	12.47%
19.	-वही-	हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर ^{#1}	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित भी कोई देश	हांसुंग स्पेशल मशीनरी कं., लिमिटेड	52.77%
20.	-वही-	अलॉय स्टील चीसेल#2	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	हांसुंग स्पेशल मशीनरी कं., लिमिटेड	शून्य
21.	-वही-	हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर ^{#1}	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	कोई भी निर्माता अन्य क्र.सं. ऊपर 9 से 20 तक	52.77%
22.	-वही-	हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर #¹	विषयगत देशों के अलावा कोई भी देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी उत्पादक	52.77%
23.	-वही-	अलॉय स्टील चीसेल#2	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	कोई भी निर्माता अन्य क्र.सं. ऊपर 9 से 20 तक	12.47%
24.	-वही-	अलॉय स्टील चीसेल#2	विषयगत देशों के अलावा कोई भी देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी उत्पादक	12.47%

#1 हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर्स के लिए:

- क. हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर का उपयोग निर्माण और खनन उद्योग में छेनी के साथ विध्वंस और खनन गतिविधियों को करने के लिए किया जाता है। हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर आयात किए जाते हैं और पूरी तरह से इकट्ठे स्थिति के साथ-साथ अर्ध-खटखटाए गए (एसकेडी) स्थिति और सीकेडी (पूरी तरह से खटखटाए गए) स्थिति में बेचे जाते हैं, जिसमें विभिन्न असेंबली होती हैं। नीचे दी गई तालिका डी 1 में उल्लिखित उप- असेंबली को पूरी तरह से इकट्ठे हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर बनाने के लिए आयात किया जा सकता है।
- ख. पूरी तरह से असेंबली हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकरों के लिए उपरोक्त शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित शुल्क केवल हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकरों और तालिका डी1 में उल्लिखित असेंबली/उप-असेंबली के आयात पर लागू होंगे।

ग. जहां शैल तोड़ने वालों से छेनी का आयात किया जाता है, वहां छेनी पर लागू पाटनरोधी शुल्क ऐसी छेनी पर लागू होगा। हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क छेनी या इसके विपरीत लागू नहीं किया जाएगा।

घ. हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर पर शुल्क केवल निम्नलिखित असेंबली / उप-असेंबली पर लागू होंगे और हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर के अन्य भागों और घटकों पर नहीं:

	तालिका डी 1
पाटन रोधी शुल्क के दायरे में शामिल हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकरों की असेंबली/सब-असेंबली	घटकों का चित्रात्मक प्रदर्शन⁴
क. फ्रंट हेड	
ख. बैक हेड	
ग. हाइड्रोलिक सिलेंडर या रॉक ब्रेकर के लिए पिस्टन	
घ. सिलेंडर बॉडी या हाइड्रोलिक यूनिट (हाइड्रोलिक बॉडी में फ्रंट हेड, बैक हेड, सिलेंडर और पिस्टन शामिल हैं)	
ड. ब्रैकेट	
च. फ्रेम	DO OO MANA
छ. हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर के लिए सिलेंडर	

- * ये चित्र केवल प्रदर्शन के लिए हैं। वास्तविक असेंबली और उप असेंबली का रूप अलग हो सकता है।
- ड. असेंबली/उप-असेंबली पर अनुशंसित शुल्क इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना उन पर लागू होंगे कि चाहे वे व्यक्तिगत रूप से आयात किए गए हों या ऊपर तालिका डी 1 में उल्लिखित अन्य असेंबली/उप-असेंबली के साथ आयात किए गए हों।
- च. सीमाशुल्क यह सुनिश्चित करें कि निर्यातक दो या दो से अधिक असेंबली/उप-असेंबिलयों को एक साथ मिलाकर यह स्थापित करने के लिए अनुशंसित शुल्कों से बचने का प्रयास न करें कि वे उपर्युक्त तालिका डी-1 में शामिल राशि से भिन्न असेंबली/उप-असेम्बली का निर्यात कर रहे हैं। इसके अलावा, साफ किए जा रहे माल के विवरण को मूल्य और माप की इकाई के संदर्भ में पर्याप्त रूप से कैप्चर किया जाना चाहिए।
- छ. हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर पर लागू शुल्क किसी भी अन्य असेंबली / उप-असेंबली, भाग या घटक, या किट पर लागू नहीं होंगे जिनका उल्लेख ऊपर तालिका डी 1 में नहीं किया गया है।

#2

- क. छेनी का उपयोग हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर के साथ किया जाता है। वे विभिन्न आकार, आकार में आते हैं और छेनी की नोक आवश्यक अंतिम उपयोग के अनुसार भिन्न होती है।
- ख. छेनी का आयात वेज, टूल, मॉइल आदि के नाम से भी किया जाता है। जहां शैल तोड़ने वालों से छेनी का आयात किया जाता है, वहां छेनी पर लागू पाटनरोधी शुल्क ऐसी छेनी पर लागू होगा।
- 2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) तक की अविध के लिए प्रभावी रहेगा और भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए,

- (क) प्रतिपाटन शुल्क, की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई है और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।
- (ख) "सीआईएफ मूल्य" का अर्थ सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य है।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/160/2023–टीओ(टीआरयू-I)]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2024

No. 11/2024-Customs (ADD)

G.S.R. 349(E).—Whereas in the matter of 'alloy steel chisel/ tool and hydraulic rock breaker in fully assembled condition' (hereinafter referred to as the subject goods) falling under chapter headings 84314930 and 84314990 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR and Korea RP (hereinafter referred to as the subject countries), and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification number 6/8/2022-DGTR, dated the 28th March, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 28th March, 2024, has come to the conclusion that—

- (i) the subject goods have been exported to India from subject countries below its normal value, thus resulting in dumping of the product;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury due to dumping of the subject goods;
- (iii) the material injury has been caused by the dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries,

and has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under chapter heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an antidumping duty at a rate as specified in the corresponding entry in column (7) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty (% of CIF Value in USD)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	84314930 and 84314990	Hydraulic Rock Breakers ^{#1}	China PR	Any country including China PR	Yantai Eddie Precision Machinery Co., Ltd	131.11%
2.	-do-	Alloy Steel Chisels #2	China PR	Any country including China PR	Yantai Eddie Precision Machinery Co., Ltd	29.21 %

3.	-do-	Hydraulic Rock Breakers ^{#1}	China PR	Any country including China PR	NINGBO YINZHOU GET MACHINERY LTD.	26.95%
4.	-do-	Alloy Steel Chisels #2	China PR	Any country including China PR	NINGBO YINZHOU GET MACHINERY LTD.	4.55%
5.	-do-	Hydraulic Rock Breakers ^{#1}	China PR	Any country including China PR	Any producer other than S.No. 1 to 4 above	162.50 %
6.	-do-	Hydraulic Rock Breakers ^{#1}	Any country other than subject countries	China PR	Any producer	162.50 %
7.	-do-	Alloy Steel Chisels #2	China PR	Any country including China PR	Any producer other than S.No. 1 to 4 above	29.21 %
8.	-do-	Alloy Steel Chisels #2	Any country other than subject countries	China PR	Any producer	29.21 %
9.	-do-	Hydraulic Rock Breakers ^{#1}	Korea RP	Any country including Korea RP	Soosan Heavy Industries Co., Ltd.	NIL
10.	-do-	Alloy Steel Chisels #2	Korea RP	Any country including Korea RP	Soosan Heavy Industries Co., Ltd.	NIL
11.	-do-	Hydraulic Rock Breakers ^{#1}	Korea RP	Any country including Korea RP	DAEMO Engineering Co. Ltd.	9.43%

12.	-do-	Alloy Steel Chisels #2	Korea RP	Any country including Korea RP	DAEMO Engineering Co. Ltd.	12.47%
13.	-do-	Hydraulic Rock Breakers ^{#1}	Korea RP	Any country including Korea RP	D and A Heavy Industries Co., Ltd.	Nil
14.	-do-	Alloy Steel Chisels #2	Korea RP	Any country including Korea RP	D and A Heavy Industries Co., Ltd.	12.47%
15.	-do-	Hydraulic Rock Breakers ^{#1}	Korea RP	Any country including Korea RP	Hyundai Everdigm Corporation	11.91%
16.	-do-	Alloy Steel Chisels #2	Korea RP	Any country including Korea RP	Hyundai Everdigm Corporation	12.47%
17.	-do-	Hydraulic Rock Breakers ^{#1}	Korea RP	Any country including Korea RP	FEEL INDUSTRIAL ENGINEERING CO. LTD.	8.16%
18.	-do-	Alloy Steel Chisels #2	Korea RP	Any country including Korea RP	FEEL INDUSTRIAL ENGINEERING CO. LTD.	12.47%
19.	-do-	Hydraulic Rock Breakers ^{#1}	Korea RP	Any country including Korea RP	HANSUNG SPECIAL MACHINERY CO., LTD	52.77%
20.	-do-	Alloy Steel Chisels #2	Korea RP	Any country including Korea RP	HANSUNG SPECIAL MACHINERY CO., LTD	Nil
21.	-do-	Hydraulic Rock Breakers ^{#1}	Korea RP	Any country including Korea RP	Any producer other than S. No. 9 to 20 above	52.77%

22.	-do-	Hydraulic Rock Breakers ^{#1}	Any country other than subject countries	Korea RP	Any producer	52.77%
23.	-do-	Alloy Steel Chisels #2	Korea RP	Any country including Korea RP	Any producer other than S.No. 9 to 20 above	12.47%
24.	-do-	Alloy Steel Chisels #2	Any country other than subject countries	Korea RP	Any producer	12.47%

#1

For Hydraulic Rock Breakers:

- a. Hydraulic Rock Breakers are used in construction and mining industry along with Alloy Steel Chisels for carrying out demolition, excavation, mining, concrete and boulder breaking activities. Hydraulic Rock Breakers are imported and sold in fully assembled condition as well as in semiknocked (SKD) condition and CKD (completely knocked down) condition, wherein different assemblies. sub-assemblies as mentioned in Table D1 below can be imported to form fully assembled hydraulic rock breakers.
- b. The duties mentioned in column 7 of the Duty Table above for fully assembled Hydraulic Rock Breakers shall be applicable to imports of Hydraulic Rock Breakers and the Assemblies/Sub-assemblies mentioned in Table D1 only.
- c. Where Alloy Steel Chisels are imported with Hydraulic Rock Breakers, anti-dumping duties applicable to Alloy Steel Chisels shall be applicable to such Alloy Steel Chisels. <u>Anti-dumping duties for hydraulic rock breakers and its assemblies/sub-assemblies mentioned in Table D1, shall not be made applicable to alloy steel chisels or vice-versa.</u> (Also refer point h. below)
- d. The duties on hydraulic rock breakers shall be applicable only to the following assemblies/sub-assemblies and not to other parts and components of hydraulic rock breakers:

TABLE D1					
Assemblies/sub-assemblies of hydraulic rock breakers covered under the scope of anti-dumping duties	Pictorial Representation of Component*				
a. Front head					
b. Back head					
c. Piston for hydraulic cylinder or rock breaker					

d. Cylinder body or hydraulic unit (Hydraulic body consists of front head, back head, cylinder and piston)	
e. Bracket	
f. Frame	100 00 manus
g. Cylinder for hydraulic rock breaker	

*The photos are for representative purposes only. The form of the actual assemblies/sub-assemblies may vary.

- e. The recommended duties on assemblies/sub-assemblies shall be applicable on them irrespective of the fact that whether they are imported individually or along with other assemblies/sub-assemblies mentioned in **Table D1** above.
- f. It is to be ensured that exporters do not attempt to evade the recommended duties by physically combining two or more assemblies/sub-assemblies together to establish that they are exporting a different assemblies/sub-assembly other than what has been covered in **Table D1** above. Further, the description of the goods being cleared should be captured adequately in terms of value and unit of measurement.
- g. The duties applicable to hydraulic rock breakers shall *not* be applicable to any other assemblies/sub-assemblies, part or component, or kits which have *not* been mentioned in Table D1 above.

#2

For Alloy Steel Chisels:

- h. Alloy Steel Chisels are used along with hydraulic rock breakers. They come in various shape, size and the tip of the chisel varies according to the required end use.
- i. Alloy Steel Chisels are also imported by the name of tool, wedge, toil, moil, teeth, tooth, working

tool, chisel blunt, hydraulic hammer (tool), breaker tool etc. Where chisels are imported with rock breakers, anti-dumping duties applicable to chisels shall be applicable to such chisels. <u>Anti-dumping duties applicable to alloy steel chisels shall not be made applicable to hydraulic rock breakers or its assemblies/sub-assemblies mentioned in **Table D1** above. (Also refer point b above).</u>

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette, and shall be payable in Indian currency.

Explanation. - For the purposes of this notification, -

- (a) rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.
- (b) "CIF value" means the assessable value as determined under section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. CBIC-190354/160/2023-TO(TRU-I)] VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.